न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 216/17 धारा 144 द0प्र0सं0

भीखु महतो वगै0 ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

बासुदेव महतो वगै0 ..... द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 07.09.17 ..... अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद थाना प्रभारी बिरनी एवं पुलिस निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम पक्ष के भीखु महतो वगै0 एवं द्वितीय पक्ष के बासुदेव महतो वगै0 के प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग किया गया। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न इस प्रकार है :-

मौजा- जनता जरीडीह, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह के (1) खाता संख्या- 118, खेसरा संख्या- 43/03, रकवा 56 डी0 मध्ये 16 डी0, चौहद्दीः उ0- नीज, द0- रास्ता, पू0- मना मियां वगै0, प0- रास्ता ।

(2) खाता संख्या- 118, खेसरा संख्या- 43, रकवा 08 डी0, चौहद्दीः उ0- गैरमजूरवा भीखन महतो वगै0, द0- रास्ता, पू0- गैरमजूरवा ईसमाईल अंसारी, प0- गैरमजूरवा शंकर महतो वगै0 ।

प्रथम पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर न्यायालय में बतलाया गया कि-

1. यह कि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण द्वारा हमारे पूर्वज के खरीदगी जमीन पर बल पूर्वक निर्माण कार्य कर रहे हैं जो मौजा- जनता जरीडीह, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह के खाता संख्या- 118, खेसरा संख्या- 43/03, रकवा 56 डी0 मध्ये 16 डी0, चौहद्दीः उ0- नीज, द0- रास्ता, पू0- मना मियां वगै0, प0- रास्ता एवं द्वितीय प्लॉट मेरे पूर्वज अकलू महतो पिता रती महतो को बजरीये हुकुमनामा से हासिल है। जिसका विवरण

निम्न है – खाता संख्या– 118, खेसरा संख्या– 43, रकवा 08 डे
चौहद्दीः उ0– गैरमजूरवा भीखन महतो वगै0, द0– रास्ता, पू
गैरमजूरवा ईसमाईल अंसारी, प0– गैरमजूरवा शंकर महतो वगै0 ।

2. यह कि उपरोक्त परिस्थिति में द्वितीय पक्ष के द्वारा शांति भंग होने की पूर्ण संभावना है और किसी भी क्षण द्वितीय पक्ष के सदस्यों द्वारा परिशांति बिगाडा जा सकता है।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज के छायाप्रति प्रस्तुत किए है–

1. केवाला
2. राजस्व रसीद
3. हुकुमनामा

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर अपने दलील में बताया गया कि–

1. यह कि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के पूर्वज को वजरीय हुकुमनामा टिकेत श्री व्रजमोहन सिंह वो जिमेदार गादी जरीडीह, परगना खरगडीहा, थाना– बिरनी, जिला– हजारीबाग बनाम झरी मियां वो गिद्धो मियां वो बसारत मियां वो बन्धु मियां वो बुधन मियां वल्द भिखो वो झालो महतो वल्द पुरन महतो, वो बन्धु महतो वल्द रती महतो, वो कोम जोल्हा व बेलदार पेशा गृहस्ती साकिन जरीडीह परगना खरगडीहा सब रजिस्ट्री गिरिडीह डिस्ट्रीक वो जिला हजारीबाग को बजरीये हुकुमनामा द्वारा 19 माह अगहन सम्वत 1346 को हासिल है। तब से शांति पूर्वक दखल कायम काबिज चले आ रहे हैं। जिसका जिमेदार को लगान अदा करने बाद बिहार सरकार एवं झारखण्ड सरकार को राजस्व अदा करते आ रहे हैं। जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पेज नं0 30, भोलुम नं0 04 रकवा 18. $22\frac{1}{2}$ एकड़ जमाबंदी झालो महतो के नाम दर्ज है।
2. यह कि इसी दस्तावेज के द्वारा द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के द्वारा 27.05.1970 केवाला दस्तावेज संख्या 350, लेख्यकारी खिरो महतो पिता झालो महतो के द्वारा खाता संख्या 118, प्लॉट नं0 43/3 जमीन नाम टांड रकवा 56 डी0 मद्ये 16 डी0 विक्रय किये हैं जिसकी चौहद्दी :– उत्तर– नीज, दक्षिण– रास्ता, पूरब– मना मियां, पश्चिम– रास्ता है। जो द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के द्वारा विक्रय किया गया है। जिसपर प्रथम

पक्ष के सदस्यगण मकान और रास्ता बनाकर निवास कर रहे हैं।

3. यह कि द्वितीय पक्ष के बजरीये हुकुमनामा खगेन्द्र नारायण सिंह के द्वारा हासिल है। जिसका खाता नं0 118, प्लॉट नं0 43 रकवा 12 एकड है। जिसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का विक्रय नहीं किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज के छायाप्रति प्रस्तुत किए है–

1. हुकुमनामा
2. जमींदारी रसीद
3. राजस्व रसीद

थाना प्रभारी बिरनी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि सरजमीन पर दखल कब्जा द्वितीय पक्ष का है एवं विवादित भूमि के कारण शांति भंग होने की संभावना है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व थाना प्रभारी, बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है। निधौरित अवधि के दौरान कोई अप्रिय घटना अथवा शांति भंग नहीं हुई ऐसी परिस्थिति में आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।